

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,

Email : panjiyak8ppp@gmail.com

राजस्थान, बीकानेर

Ph. : 0151-2226570

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पंविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2019

दिनांक: 26.12.2019

प्रधानाचार्य,  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
समस्त।

विषय: प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन बाबत।

प्रसंग: इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक: 30.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु जारी दिशा निर्देश क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पंविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2019 दिनांक: 30.11.2019 के बिन्दु संख्या: 37 में प्रावधान है कि '1 मार्च, 2020 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो।' अधिकतम आयु सीमा की उक्त बाध्यता में निर्देशानुसार वर्ष: 2020 की परीक्षा के लिए शिथिलन प्रदान किया जाता है।

यह शिथिलन समस्त प्रकार की राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। आग्रामी सत्र के लिए इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पंविप/प्राशिपूप/ दिशा निर्देश/2018/172 दिनांक: 14.12.2018 की पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जावे।

(अशोक सांगवा)  
आर.ए.एस.

अति. निदेशक (प्रशासन)  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,  
राजस्थान, बीकानेर

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/पंविप/प्राशिपूप/दिशा निर्देश/2019

दिनांक: 26.12.2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट (एस.ए.), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उक्त निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने वास्ते।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि., समस्त।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक (प्रशासन)  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग,  
राजस्थान, बीकानेर